न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा

पीठासीन अधिकारी : गुनेश कुमारी (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 34/2022

वाद दायरी दिनांक :— 24.02.2011

1. भंवरलाल उम्र 63 वर्ष पुत्र स्व. राजूराम
2. कानाराम उम्र 67 वर्ष पुत्र स्व. राजूराम
3. मुकेश उम्र 25 वर्ष पुत्र स्व. रामगोपाल
4. अनिल उम्र 23 वर्ष पुत्र स्व. रामगोपाल
5. सुमित्रा उम्र 55 वर्ष पत्नी स्व. रामगोपाल
6. सुमन उम्र 29 वर्ष पुत्री स्व. रामगोपाल
7. मंजु उम्र 27 वर्ष पुत्री स्व. रामगोपाल
8. मृतक पतासी पत्नी स्व. आशाराम जाति जाट निवासी चन्द्रपुरा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनूं दौराने दावा मृत्यु
9. रचना उम्र 26 वर्ष पुत्री स्व. आशाराम जाति जाट निवासी चन्द्रपुरा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनूं

निवासीगण चन्द्रपुरा तहसील समस्त जाति जाट मण्डावा जिला झुन्झुनूं (राज.)

वादीगण

1. 'मृतक' जयसिंह पुत्र स्व. मालाराम जाति जाट निवासी चन्द्रपुरा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनूं दौराने दावा मृत्यु

1/1 उर्मिला स्त्री स्व. जयसिंह जाति जाट निवासी ग्राम चन्द्रपुरा तहसील व जिला झुन्झुनूं

1/2 अनिल पुत्र स्व. जयसिंह जाति जाट निवासी ग्राम चन्द्रपुरा तहसील व जिला झुन्झुनूं

1/3 सुनिल पुत्र स्व. जयसिंह जाति जाट निवासी ग्राम चन्द्रपुरा तहसील व जिला झुन्झुनूं

2. श्रीराम उम्र 43 वर्ष पुत्र स्व. मालाराम समस्त जाति जाट निवासी

3. भगवानी उम्र 72 वर्ष पत्नी स्व. मालाराम चन्द्रपुरा तहसील मण्डावा

4. रामप्रताप उम्र 45 वर्ष पुत्र स्व. खेताराम व जिला झुन्झुनूं (राज.)

5. राजेश उम्र 24 वर्ष पुत्र स्व. रामजीलाल जाति जाट निवासी चन्द्रपुरा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनूं ?

6. सावित्री उम्र 45 वर्ष पत्नी स्व. रामजीलाल जाति जाट निवासी चन्द्रपुरा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनूं?

7. मृतक भागीरथ पुत्र स्व. हनुताराम जाति जाट निवासी चन्द्रपुरा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनूं दौराने दावा मृत्यु

7/1 नरेन्द्र उम्र 46 वर्ष पुत्र स्व. भागीरथ जाति जाट निवासी चन्द्रपुरा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनूं

7/2 अनिता उम्र 40 वर्ष पुत्री स्व. भागीरथ पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट निवासी हेतमसर तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनूं

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा

7/3 सुनिता उम्र 36 वर्ष पुत्र स्व. भागीरथ पत्नी सुरेन्द्र जाति जाट निवासी हेतमसर तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनूं

7/4 जितेन्द्र उम्र 34 वर्ष पुत्र स्व. भागीरथ जाति जाट निवासी चन्द्रपुरा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनूं

8. मृतक शिशपाल पुत्र स्व. हनुताराम जाति जाट निवासी चन्द्रपुरा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनूं दौराने दावा मृत्यु

8/1 पतासी स्त्री द्य

8/2 उपेन्द्र पुत्र

8/3 सुरेन्द्र पुत्र

8/4 विरेन्द्र पुत्र

स्व. शिशपाल जाति जाट निवासी चन्द्रपुरा तहसील व जिला झुन्झुनूं

9. मृतक बसन्तलाल पुत्र स्व. हनुताराम जाति जाट निवासी चन्द्रपुरा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनूं दौराने दावा मृत्यु

9/1 बनारसी स्त्री

9/2 जयपाल पुत्र

9/3 नरेश पुत्र

स्व. बसन्तलाल जाति जाट निवासी चन्द्रपुरा तहसील व जिला झुन्झुनूं

10. मृतक बजरंगलाल पुत्र स्व. हनुताराम जाति जाट निवासी चन्द्रपुरा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनूं दौराने दावा मृत्यु

10/1 सन्तरा स्त्री

10/2 प्रदीप पुत्र

10/3 संदीप पुत्र

स्व. बजरंगलाल जाति जाट निवासी ग्राम चन्द्रपुरा तहसील व जिला झुन्झुनूं

11. मृतक रमेश पुत्र स्व. हणमान जाति जाट निवासी चन्द्रपुरा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनूं दौराने दावा मृत्यु

11/1 मोहनी स्त्री

11/2 रविन्द्र पुत्र

11/3 रजत पुत्र

स्व. रमेश जाति जाट निवासी ग्राम चन्द्रपुरा तहसील व जिला झुन्झुनूं

12. किस्तुरी उम्र 55 वर्ष पुत्री स्व. बालुराम जाति जाट निवासी चन्द्रपुरा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनूं

13. बिमला उम्र 52 वर्ष पुत्री स्व. बालुराम जाति जाट निवासी चन्द्रपुरा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनूं

14. पतासी उम्र 65 वर्ष पुत्री स्व. बालुराम पत्नी तेजपाल जाति जाट निवासी इन्दिरा नगर, प्लॉट नं. ३ झुंझुनू–

15 सुमित्रा उम्र 41 वर्ष पुत्र स्व. बालुराम पत्नी बनवारीलाल जाति जाट निवासी जेजुसर तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं

16. मृतक मोहरी उम्र 72 वर्ष पुत्री स्व. राजुराम पत्नी श्री फुलसिंह जाति जाट निवासी समसपुर तहसील व जिला झुन्झुनूं– दौराने दावा मृत्यु

उपखण्ड अधिकारी

16/1 महेन्द्र पुत्र कुलसिंह जाति जाट निवासी ग्राम समसपुर तहसील व जिला झुन्झुनू.
17. शान्ता उम्र 85 पुत्री स्व. सांवतराम पत्नी स्व. रामदेव सिंह जाति जाट निवासी समसपुर तहसील व जिला झुन्झुनू.
18. सतीश उम्र 44 वर्ष पुत्र
19. सुरेन्द्र उम्र 39 वर्ष पुत्र
20. नरेन्द्र उम्र 28 वर्ष पुत्र
21. सरोज उम्र 34 वर्ष पुत्री
स्व. आसाराम जाति जाट निवासीगण चन्द्रपुरा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनूं.
22. राजस्थान सरकार लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय, मण्डावा

प्रतिवादी

दिनांक 30.01.2026

दावा घोषणार्थ व रिकार्ड दुरूस्ती बाबत

संक्षेप मे वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम नूआं जमीन खं.नं. 87 रकबा 0.97 हैक्टर में से 0.47 हैक्टर, खं.नं. 88 रकबा 0.1500 हैक्टर, व खं.नं. 283 रकबा 3.100 हैक्टर में से 1.55 हैक्टर के वादीगण एवं प्रतिवादीगण नं. 18 लगायत 21 खातेदार काश्तकार है व काबिज है।जमीन खं.नं. पुराना 102/2 रकबा 14 बीघा 2 बिस्वा पुख्ता खं.नं. 70/1 रकबा 9 बीघा 1 बिस्वा पुख्ता ग्राम चन्द्रपुरा तहसील झुन्झुनू व पुराना खं.नं. 148/1 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा पुख्ता खं.नं. 150/1 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा पुख्ता ग्रमा नूआं तहसील व जिला झुन्झुनू बाबत न्यायालय सहायक जिलाधीश महोदय झुन्झुनू में एक वाद बालूराम बनाम भागीरथ वगैरह वाद सं. 133/83 प्रस्तुत हुआ था उक्त वाद में पक्षकारान ने दिनांक 29.08.1986 को राजीनामा न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। राजीनामे के मुताबिक जमीन खं.नं. 102/2 रकबा 14 बीघा 2 बिस्वा पुख्ता, खं.नं. 70/1 रकबा 9 बीघा 1 बिस्वा पुख्ता ग्राम चन्द्रपुरा व खं.नं. 148/1 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा पुख्ता, खं.नं. 150/1 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा पुख्ता ग्राम नूआं की जमीन बालूराम के हिस्से में आई उक्त बालूराम ने राजीनामा में ही अपनी पुत्रियां किस्तुरी व बिमला को दे दी व उनके नाम से रेवेन्यू रिकार्ड में नाम दर्ज होने के बाबतकोई एतराज नहीं होने से उक्त जमीन बालूराम की पुत्रियों के पक्ष में दावा में 4 निर्णय व डिक्री पारित हो गई।इसी प्रकार खं.नं. 70/2 रकबा 18 बीघा पुख्ता, खं.नं. 20 रकबा 7 बीघा 11 बिस्वा पुख्ता, खं.नं. 61 रकबा 8 बीघा 3 बिस्वा पुख्ता ग्राम चन्द्रपुरा तहसील झुन्झुनू व पुराना खं.नं. 67 में से 6 बीघा 3 बिस्वा पुख्ता, खं.नं. 61 रकबा 12 बिस्वा पुख्ता व खं.नं. 63 गै.मू. आबादी रकबा 3 बीघा 18 बिस्वापुख्ता में से एक 1 बीघा 17 बिस्वा पुख्ता ग्राम नूआ तहसील झुन्झुनू की जमीन राजूराम के हिस्से में आई तथा निर्णय व डिक्री पारित हो गई थी। राजीनामा के वक्त राजूराम जिन्दा था। राजूराम का देहान्त सन् 2000 में हो चुका है। राजूराम के देहान्त के पश्चात उसके हिस्से में आई जमीनों पर वादीगण व प्रतिवादीगण 18 लगायत 21 काश्त करते आ रहे है व काबिज है ग्राम नूआ की जमीन खं.नं. 63 का रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा पुख्ता है। लेकिन लेखानिय भूल से 3 बीघा 12 बिस्वा डिक्री में दर्ज हो गई।राजीनामे के मुताबिक निर्णय व डिक्री दिनांक 29.08.1986 की तामिलना में बालूराम की पुत्रियों के हिस्से में आई जमीन नामान्तरकरण दिनांक 22.09. 1986 को दर्ज हो गया। लेकिन निर्णय व डिक्री का पूर्णतया निष्पादन नहीं हुआ जिस वक्त बालूराम की पुत्रियों के नाम से नामान्तरकरण दर्ज हुआ उसी वक्त राजूराम के हिस्से में आई जमीन का नामान्तरकरण राजूराम के नाम दर्ज होना चाहिए था। लेकिन निर्णय व डिक्री का पूर्ण रूप से निष्पादन नहीं हुआ जो कानूनन गलत है निर्णय डिक्री का निष्पादन आंशिक रूप से नहीं हो सकता अगर डिक्री व निर्णय का पूर्ण रूप से निष्पादन होता तो राजूरा के हिस्से में आई जमीनों का रेवेन्यू रिकार्ड उसके नाम से अलग दर्ज होता है। राजीनामा में ग्राम चन्द्रपुरा की जमीन खं.नं. 70/2, खं.नं. 61, खं.नं. 20 का हवाला दिया गया था लेकिन उक्त चन्द्रपुरा की

भूमि का रेवेन्यू रिकार्ड में नाम राजूराम का अलग से था व राजूराम के देहान्त के पश्चात उनकी वारिसान
के नाम से रिकार्ड दर्ज हो गया जो बदस्तूर जारी है।ग्राम नूआं की जमीन पुराना खं.नं. 67 रकबा 12 बीघा
5 बिस्वा पुख्ता में से 6 बीघा 3 बिस्वा पुख्ता खं.नं. 61 रकबा 12 बिस्वा पुख्ता जो जमीन राजूराम के हिस्से
में आई उसमें बालूराम का नाम भी दर्ज रह गया। जबकि राजीनामा व डिक्री के मुताबिक बालूराम के हिस्से
की जमीन उसकी पुत्रियों के नाम से अलग दर्ज हो गई। ऐसी सुरत में वादीगण व प्रतिवादीगण नं. 18
लगायत 21 के कब्जे काश्त की जमीनों में बालूराम का हिस्सा गलत दर्ज रहाहै। इसी प्रकार उक्त खं.नं. 61
रकबा 12 बिस्वा पुख्ता में राजीनामा, डिक्री व निर्णय के अनुसार रेवेन्यू रिकार्ड में नाम राजूराम का दर्ज
होना चाहिए था। लेकिन निर्णय व ढिक्री का पूर्णरूप से निष्पादन नहीं हो पाने से उक्त खं.नं. 61 के रेवेन्यू
रिकार्ड में हनुताराम के वारिसान प्रतिवादी नं. लगायत 11 व बालूराम का नाम दर्ज रह गया। जबकि उनका
उक्त जमीन पर कोई कब्जा काश्त नहीं है। इसी प्रकार निर्णय व विक्री का निष्पादन नहीं होने से जमीन
खं.नं. 63 रकबा 3 बीघ 18 बिस्वा पुख्ता में से 1 बीघा 17 बिस्वा पुख्ता वाके मौजा नूआं का रेवेन्यू रिकार्ड
राजूराम के नाम से दर्ज नहीं हुआ जबकि न्यायालय ने निर्णय व डिक्री में खं.नं. 63 में से 1 बीघा 17 बिस्वा
का खातेदार काश्तकार राजूराम को घोषित किया जा चुका है।डिक्री व निर्णय की पालना पूर्णरूप से नहीं
की गई जो कि हल्का पटवारी ने जानबूझकर ऐसा कृत्य किया है जबकि कानूनन रूप से हल्का पटवारी
को निर्णय व डिक्री की पूर्ण रूप से पालना करनी चाहिए थी जो नहीं की गई है। जो कानूनी रूप से गलत
है।ग्राम नूओं में जब सेटलमेन्ट हुआ तो जमीन खं.न. 148/1 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा पुख्ता पुराना के
नया खं.नं. 292 रकबा 0.8800 हैक्टर पुराना खं.नं. 150/1 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा पुख्ता के नया खं.नं.
293 रकबा 0.7800 हैक्टर व खं.नं. 294 रकबा 0.1300 हैक्टर हो गये उक्त खं.नं. 292, 293, 294 की
खातेदारी किस्तुरी, बिमला पुत्रियों बालूराम के नाम से दर्ज है।ख.नं. पुराना 67 रकबा 12 बिघा 5 बिस्वा में
से 6 बिघा 3 बिस्वा कानया खं.नं. 283 रकबा 1.5500 हैक्टर व पुराना खं.नं. 61 रकबा 12 बिस्वा पुख्ता के
नया खं.नं. 88 रकबा 0.1500 हैक्टर में बालूराम व प्रतिवादी नं. लगायत 11 का नाम रेवेन्यू रिकार्ड में दर्ज
है। जो कतई गलत है जबकि बंटवारा, राजीनामा, निर्णय व डिक्री के अनुसार राजूराम का नाम दर्ज होना
चाहिए था व राजूराम के देहान्त के पश्चात उसके वारिसान के नाम से रेवेन्यू रिकार्ड अलगसे दर्ज होना
चाहिए था व इसी प्रकार खं.नं. पुराना 63 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा पुख्ता में से 1 बीघा 17 बिस्वा की
खातेदारी डिक्री व निर्णय के मुताबिक राजूराम का रेवेन्यू रिकार्ड में नाम दर्ज होना चाहिए था। लेकिन उक्त
निर्णय व डिक्री का निष्पादन पूर्ण रूप से नहीं होने के कारण से राजूराम के नाम से खातेदारी दर्ज नहीं हो
सकी व राजूराम के देहान्त के पश्चात उसके वारिसान के नाम से भी रिकार्ड दर्ज नहीं हो सका। उक्त
पुराना खं.नं. 63 के सेटलमेन्ट में नया खं.नं. 86 व 87 दर्ज हो गये खं.नं. 87 रकबा 0.9700 हैक्टर में से 0.
4700 हैक्टर पर वादीगण व प्रतिवादीगण नं. 18 लगायत 21 खातेदार, काश्तकार है व काबिज है।राजूराम
के पुत्र रामगोपाल का देहान्त दिनांक 11.09.2010 को हो गया रामगोपाल के वारिसान का नामान्तरकरण नं.
182 दिनांक 27.12.2010 को भरा गया उसी के साथ बालूराम की पुत्रियां किस्तुरी, बिमला, पतासी व सुमित्रा
का नाम भी दर्ज कर दिया गया जो कतई गलत दर्ज हुआ है। उक्त बालूराम ने अपने हिस्से की जमीन
राजीनामा, निर्णय व डिक्री के हिसाब से अपनी पुत्रियां किस्तुरी, बिमला के नाम पूर्व में ही करवा दी थी।
ऐसी सुरत में उक्त नामान्तरकरण में उपरोक्त किस्तुरी, बिमला, पतासी, सुमित्रा, का नाम गलत दर्ज हुआ है।
जो निरस्त होने योग्य है। क्योंकि जब बालूराम का वादीगण के कब्जे काश्त की जमीन पर कोई हक व
अधिकार नहीं नहीं रहा तो उक्त नामान्तरकरण दर्ज करने का कोई औचित्य नहीं है।अतः वाद वादीगण
प्रस्तुत कर निवेदन है कि रू–

(अ). वाद वादीगण डिक्री फरमाया जाकर ग्राम नूआं की जमीन खं.नं. 283 रकबा 3.10 हवैक्टर भूमि
में से 1.5500 हैक्टर खं.नं. 88 रकबा 0.15 हैक्टर खं.नं. 87 रकबा 0.9700 हैक्टर में से 0.47 हैक्टर भूमि का

उपखण्ड अधिकारी

वादीगण नं. 1 लगायत 9 व प्रतिवादीगण नं. 16 लगायत 21 को खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावें। इसी प्रकार से पर्चा खतुनी, पर्चा लगान आदि अलग से तैय फरमाया जावें।

उक्तानुसार दावा पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये कोर्ट नोटिस से तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 04 लगायत 06, 17 लगायत 19, 21 की बाद तामिल के न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए तथा न ही कोई उजर ऐतराज पेश नहीं किया । इनके विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लायी गई। प्रतिवादी न0 1/1 लगायत 1/3, 02, 03, 7/1 लगायत 7/4, 8/1 लगायत 8/4,9/1 लगायत 9/3, 10/1 लगायत 10/3, 11/1 लगायत 11/3, 12 लगायत 15, 16/1, 20 ने इकबालिया जबाब दावा पेश किया ।

वादी पक्ष की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 01 सीपीसी व धारा 151 सीपीसी का पेश कर भूमि ख.न. 87 के संबध में चाही गई सिद्धियां विड्रो करने का प्रार्थना पत्र पेश किया । आदेशिका दिनांक 02/01/2025 पर उक्त प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 01 सीपीसी व धारा 151 सीपीसी स्वीकार कर वादी की भूमि ख.न. 87 के सबंध में चाही गई सिद्दियां विड्रो करने की अनुमति प्रदान की गई।

वादी द्वारा साक्ष्य के रूप में स्वयं का शपथ पत्र पेश प्रस्तुत दस्तावेत प्रर्दश–1 निर्णय 29.08.1986 की प्रति,प्रदर्श–2 राजीनामा एंव डिक्री, प्रर्दश–3 नामान्तरण संख्या265, प्रर्दश–4 जमाबन्दी सम्वत 2065–2068, प्रर्दश –5 जमाबन्दी सम्वत 2060–63, प्रर्दश–6 जमाबन्दी संख्या 2065, प्रर्दश–7 2062–2065, प्रदर्श–8 जमाबन्दी 2062–2065, प्रर्दश 9 जमाबन्दी 2060–2063, पेश किये गये।

विद्वान अधिवक्ता की बहस श्रवण की गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादी की ओर से भूमि वाके ग्राम नूआं की जमीन खं.नं. 283 रकबा 3.10 हवैक्टर भूमि में से 1.5500 हैक्टर खं.नं. 88 रकबा 0.15 हैक्टर भूमि का वादीगण नं. 1 लगायत 9 व प्रतिवादीगण नं. 16 लगायत 21 को खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावें।

विधि में भूमि की धोषणा के लिये निम्न प्रावधान है :–

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा धारा 88 में अधिकारों की धोषणा का प्रावधान किया गया है।

विवेचन

प्रश्नगत प्रकरण में वादग्रस्त भूमि के संबंध सहायक कलक्टर झुंझुनूं के मु.न.113/83 उनवान बालूराम बनाम भागिरथ निर्णय दिनांक 29.08.1986 के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार प्रतिवादी न0 12 लगायत 15 के पिता ने प्रतिवादी न0 12 व 13 के नाम से घोषणा करवादी थी। तथा शेष भूमि राजूराम के नाम से घोषणा करवादी। उक्त निर्णय व डिक्री की पालना में नामान्तरण दिनांक 22.09.1986 को दर्ज हुआ परन्तु डिक्री की पूर्ण पालना नहीं होने से राजूराम का दर्ज नही हुआ तथा शेष भूमि बालूराम के नाम से ही दर्ज रह गयी। ऐसी स्थिती में उभय पक्षकारान की सहमती एवं निर्णय डिक्री 29.08.1986 के अनुसार वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं समस्त तथ्यों, उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित है।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा

निर्णय

अतः वाद वादी से स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम नूआं की जमीन खं.नं. 283 रकबा 3.10 हैक्टर भूमि में से पूर्व खातेदार बालूराम की पुत्रियां प्रतिवादी न0 12 लगायत 15 का नाम हजफ कर हजफ हिस्सा 1/16 + 1/16 + 1/16 + 1/16 कुल 1/4 हिस्से में से वादी संख्या 09 एवं प्रतिवादी सख्यां 18 लगायत 21 को 1/6 हिस्सा, वादी संख्या 03 लगायत 07 को 1/6 हिस्सा, वादी संख्या 01 को 1/6 हिस्सा, वादी संख्या 02 को 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी न0 16/1 को 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी न0 17 को 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है । भूमि ख.न. 88 रकबा 0.15 हैक्टर में प्रतिवादी संख्या

12, खातेदार खेताराम पुत्र हुनता प्रतिवादी न0 04 के पिता, प्रतिवादी न0 13, प्रतिवादी न0 14, प्रतिवादी न0 15, खातेदार भागीरथ पुत्र हुनता प्रतिवादी न0 7/1 से 7/4 के पिता, खातेदार मालाराम पुत्र हनुता प्रतिवादी न0 1/1 से 1/3, 02, 03 के पिता, खातेदार बजंरगलाल पुत्र हनुता प्रतिवादी 10/1 से 10/3 के पिता, खातेदार बसंतलाल पुत्र हुनता प्रतिवादी न0 9/1 से 9/3 के पिता, प्रतिवादी न0 11/2 व 11/3, खातेदार शिशपाल पुत्र हनुता प्रतिवादी न0 8/1 स` 8/4 के पिता, का सम्पूर्ण हिस्सा हजफ करते हुए हजफ हिस्से में से वादी संख्या 09 एवं प्रतिवादी सख्यां 18 लगायत 21 को 1/6 हिस्सा, वादी संख्या 03 लगायत 07 को 1/6 हिस्सा, वादी संख्या 01 को 1/6 हिस्सा, वादी संख्या 02 को 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी न0 16/1 को 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी न0 17 को 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है । तदनुसार अन्तिम डिकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुनेश कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी,
मण्डावा

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मण्डावा जिला झुंझुनूं (राज0)

पिठासीन अधिकारीः—मुनेश कुमारी
(आर.ए.एस.)

दावा घोषणार्थ एवंरिकार्ड दुरूस्ती

अन्तिम वाद डिकी

मुकदमा नम्बर :– राजस्व वाद संख्या 34/2022 भंवरलाल बनाम जयसिंह वगै.

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू, मुनेश कुमारी (आर.ए.एस.), उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा बहाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुददई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुददालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है।

निर्णय दिनांक 30.01.2025 निर्णय अनुसार वाद वादी से स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम नूआं की जमीन ख.नं. 283 रकबा 3.10 हैक्टर भूमि में से पूर्व खातेदार बालूराम की पुत्रियां प्रतिवादी न0 12 लगायत 15 का नाम हजफ कर हजफ हिस्सा 1/16 + 1/16 + 1/16 + 1/16 कुल 1/4 हिस्से में से वादी संख्या 09 एवं प्रतिवादी सख्यां 18 लगायत 21 को 1/6 हिस्सा, वादी संख्या 03 लगायत 07 को 1/6 हिस्सा, वादी संख्या 01 को 1/6 हिस्सा, वादी संख्या 02 को 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी न0 16/1 को 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी न0 17 को 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है । भूमि ख.न. 88 रकबा 0.15 हैक्टर में प्रतिवादी संख्या 12, खातेदार खेताराम पुत्र हुनता प्रतिवादी न0 04 के पिता, प्रतिवादी न0 13, प्रतिवादी न0 14, प्रतिवादी न0 15, खातेदार भागीरथ पुत्र हुनता प्रतिवादी न0 7/1 से 7/4 के पिता, खातेदार मालाराम पुत्र हनुता प्रतिवादी न0 1/1 से 1/3, 02, 03 के पिता, खातेदार बजंरगलाल पुत्र हनुता प्रतिवादी 10/1 से 10/3 के पिता, खातेदार बसंतलाल पुत्र हुनता प्रतिवादी न0 9/1 से 9/3 के पिता, प्रतिवादी न0 11/2 व 11/3, खातेदार शिशपाल पुत्र हनुता प्रतिवादी न0 8/1 स` 8/4 के पिता, का सम्पूर्ण हिस्सा हजफ करते हुए हजफ हिस्से में से वादी संख्या 09 एवं प्रतिवादी सख्यां 18 लगायत 21 को 1/6 हिस्सा, वादी संख्या 03 लगायत 07 को 1/6 हिस्सा, वादी संख्या 01 को 1/6 हिस्सा, वादी संख्या 02 को 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी न0 16/1 को 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी न0 17 को 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

बसक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 30.01.2025 को जारी की गई।

मुनेश कुमारी (R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा